

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 646]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2025 — श्रावण 21, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2025

अधिसूचना

File No. GENS-2101/3918/2025-EXCISE(55). - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय-सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आबकारी आयुक्त	सी.एस. 1(ख) देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति) (संशोधित)	निराकरण सीमा	175 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
2	आबकारी आयुक्त	सी.एस. 1(ख) देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति (नवीनीकरण) (संशोधित)	निराकरण सीमा	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
3	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (ख) विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			शासन स्तर पर भेजा जाना हो तो	40 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
4	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (ख) विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति (नवीनीकरण)	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	15 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
5	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			शासन स्तर पर भेजा जाना हो तो	40 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
6	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार अनुज्ञप्ति (नवीनीकरण)	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

2/ उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.